:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

:: कार्यालय आदेश ::

एस0बी0 सिविल याचिका संख्या 14694/19 श्रीमती विजय इन्द्रा बनाम् सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 01.10.2019 पारित कर श्रीमती विजय इन्द्रा, प्रधानाचार्य, राउमावि, गुढागौडजी (झुंझुंनू) के प्रकरण में याचिकार्थिया का अभ्यावेदन एस0बी0 सिविल याचिका संख्या 6881/2015 श्री चम्पालाल व्यास व अन्य बनाम् सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2018 के अनुरूप निस्तारित करने के आदेश प्रदान किये है।

एस0बी0 सिविल याचिका संख्या 6881/2015 श्री चम्पालाल व अन्य बनाम् सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.07.2018 के द्वारा याचिकार्थियों के पक्ष में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया – In view of foregoing discussion all these writ petitions are allowed and the respondents are directed to allow the petitioners; champalal vyas (2); Laxmi narayan soni (3) Gopal das soni, pay scale of the promotional post from the date they are performing duties of principal. i.e. 30-11-2009, 20-09-2010 and 23-10-2009 respectively, with all other consequential benefits including the benefit of pay fixation.

विभाग द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के ग्रुप–एफ में कार्यरत कार्मिकों को पातेय वेतन पर प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों पर पद विरूद्ध पदस्थापन की कार्यवाही की गयी थी ना कि किसी प्रकार की पदोन्नति प्रदान की गई। उक्त पदस्थापन में स्पष्ट रूप से अंकन किया गया था कि इस पदस्थापन पर किसी प्रकार के वेतन स्थिरीकरण का लाभ देय नही होगा। ये पदस्थापन कार्मिक विभाग की स्वीकृति आई0डी0 संख्या 1106/कार्मिक/क–2/09 दिनांक 16.09.2009 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी किये जाते है। संबंधित नियन्त्रण अधिकारी को भी निर्देशित किया गया था कि राज्यसेवकों के कार्यमुक्ति से पूर्व यह अन्डरटेंकिग लेवें कि भविष्य में पातेय वेतन पर उच्च पद पर कार्य करने के सम्बन्ध में कोई परिलाभ की मांग नही करेंगे। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.07.2013 व 23.02.2015 के अनुसार वास्तविक लाभ विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा उपरान्त पदोन्नति पर कार्यग्रहण दिनांक से देय है। विभाग द्वारा उक्त एस0बी0 सिविल याचिका संख्या 6881/2015 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध डी0बी0 स्पेशल अपील 912/2019 दायर की गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने समेकित निर्णय दिनांक 31.07.2019 के द्वारा खारिज कर दिया गया तथा शासन स्तर से उक्त आदेश के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर नही करने का स्थायी समिति द्वारा निर्णय दिनांक 02.06.2020 लिया चुका है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से नियमो के परिपेक्ष्य मे अवलोकन किया गया तथा समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया गया। याचिकार्थिया प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद पर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित है तथा पातेय वेतन प्रधानाचार्य उमावि (मूल पद व्याख्याता) के पद पर दिनांक 21.10.2009 से कार्यरत है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.10.2019 एवं एस0बी0 सिविल याचिका संख्या 6881/2015 श्री चम्पालाल व अन्य बनाम् सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 23.07.2018 के क्रम में याचिकार्थिया श्रीमती विजय इन्द्रा का अभ्यावेदन दिनांक 24.10.2019 स्वीकार करते हुए नियमानुसार नियमित डीपीसी में पदोन्नति पर कार्यग्रहण तिथि अथवा डीपीसी वर्ष की अंतिम तिथि 31.03.2014 जो भी पहले हो, उस दिनांक से पदोन्नति का लाभ तथा तद्नुसार आगे के पारिमाणिक लाभ दिये जाने के निर्णय के साथ अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मध्य/संस्था/ए–4/या0सं0 14694/2019 दिनांक : 20/07/2021

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुंझुंनू।
4. जिला शिक्षा अधिकारी–मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, झुंझुंनू।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं0स0 उदयपुरवाटी जिला झुंझुंनू।
6. याचिकार्थिया श्रीमती विजय इन्द्रा, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक गुढागौड़जी जिला झुंझुंनू।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर